ईसीजीसी लिमिटेड

प्रधान कार्यालय, मुंबई

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई) द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 2020 को संदर्भ संख्या आईआरडीए/एफ़ एण्ड ए/जीडीएल/सीएमपी/045/02/2020 के अंतर्गत भारतीय बीमाकर्ताओं हेतु स्टुवर्डशिप कोड(परिचारण नियमावली) संबंधी दिशानिर्देश जारी किए है.

ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) की स्टुवर्डशिप(परिचारण) पॉलिसी निम्नलिखित है:

1. कंपनी की स्टुवर्डशिप(परिचारण) जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु पॉलिसी:

क. यह पॉलिसी ऐसे निवेशों पर अवश्य लागू होगी जहां निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी में इक्विटी के 1% से अधिक की शेयरधारिता हो.

ख. जहां कंपनी के निवेश किसी निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी में उसके इक्विटी के 2% से कम हों वहाँ कंपनी धैर्ययुक्त रवैया भी अपना सकती है. बैठकों में गंभीरता पूर्वक प्रतिभाग करने अथवा उल्लिखित बैठकों में प्रतिभाग करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कोई अन्य सार्वजनिक उपक्रम, वित्तीय संस्थान इसमें संबद्ध न हो और हमारे प्रतिनिधित्व/सहयोग का इच्छुक हो.

ग. जहां निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी के इक्विटी में कंपनी का निवेश 2 से 5% तक हो वहाँ, जहां तक संभव बैठकों में कंपनी की प्रतिभाग करें, अपना मत रखें एवं सुझाव दें जो निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी के दूरगामी हित में हो. हालांकि सभी प्रस्तावों पर वोटिंग सामान्य रूप से कंपनी के वर्तमान प्रबंधन के प्रति सहयोगी होनी चाहिए तकि स्थायित्व बना रहे. उक्त से कोई भी विचलन अन्य सरकारी वित्तीय संस्थाओं के सहयोग हेतु ही होगा जिसे सकारण दर्ज किया जाएगा.

घ. जहां निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी के इक्विटी में कंपनी का निवेश 5 से 10% तक हो वहाँ हम कंपनी के कार्यकलापों में और अधिक प्रतिभागिता की सिफ़ारिश करेंगे. कंपनी के प्रतिनिधि शेयरधरकों के हित को ध्यान में रखते हुए विषय की समीक्षा करने के उपरांत इसके पक्ष अथवा विपक्ष में मत देंगे.

च. जहां निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी के इक्विटी में कंपनी का निवेश 10% से अधिक हो वहाँ हमारे द्वारा कंपनी के कार्यकलापों में सक्रिय प्रतिभागिता तथा यदि संभव हों तो बोर्ड में प्रतिनिधित्व, कंपनी के निष्पादन की लगातार निगरानी तथा सभी बैठकों में प्रतिभाग करने की दिशा प्रयास होंगे . शेयरधारकों के दीर्घकालिक हित को संरक्षित करने के लिए अन्य संस्थागत निवेशकों के साथ संगठन का निर्माण भी किया जाना चाहिए.

कंपनी को स्टुअर्डशिप की जिम्मेदारियों के निर्वहन में सहायता के लिए किसी बाह्य सेवा प्रदाता के साथ नहीं जुड़ना है.

छ . कम्पनी द्वारा निवेश विभाग के अधिकारियों को संगत प्रशिक्षण प्रदान किया जाना जारी रहेगा.

2. स्टुअर्डशिप जिम्मेदारियो के निर्वहन में, हितों के संघर्ष के प्रबंधन हेतु कंपनी की पॉलिसी

कंपनी अपने बीमा व्यापार एवं सहयोग गतिविध्यों के कारण विभिन्न निर्यातकों, बैंकों तथा सेवा प्रदाताओं के साथ कार्य-व्यवहार करती है. कंपनी के इन कंपनियों में कुछ निवेश भी हो सकते हैं. यह समय-समय पर हितों के संघर्ष जैसी स्थिति को जन्म दे सकता है.

हितों के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होने पर निम्नलिखित का अनुपालन किया जाना चाहिए :

क) ऐसे अंतरण जो प्रस्तावों की विषय वस्तु है क्या वह लागू नियमों के अनुपालन में है तथा उचित दूरी (एक हाथ की दूरी) के सिद्धांत पर हैं .

ख) पॉलिसीधारकों के हित को सर्वोपरि रखते हुए शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में मत का निर्णय आधारित किया जाएगा .

ग) हितों के संघर्ष के मामले में निवेश प्राप्तीकर्ता कम्पनी में आगे और जोखिम को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं मामले को लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा .

घ) हितों के संघर्ष के मामले में सम्बंधित व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा.

च) भविष्य में इस प्रकार के संघर्षों के निराकरण के लिए , लिए गए निर्णयों के कार्यवृत्तों का रिकॉर्ड रखना होगा.

3. निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी की निगरानी के लिए कंपनी की पॉलिसी

अपने कार्यों के एक भाग के रूप में निवेश विभाग आवर्ती आधार पर उन कंपनियों पर निगरानी रखेगा जिसमें कंपनी नें निवेश कर रखा है. जहां निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी के इक्विटी में कंपनी का निवेश 5% से अधिक हो वहाँ निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी के कार्यकलापों की नियमित निगरानी की जाएगी. यह समाचार के माध्यमों के द्वारा तथा अथवा नियमित रूप से उनकी विभिन्न पहलुओं जैसे वित्तीय रिपोर्टों , औद्योगिक स्तर पर निगरानी , कम्पनी का प्रबंधन, कम्पनी शासन , पर्यावरण , सामाजिक एवं शासन सम्बन्धी जोखिमों (ई एस जी) , शेयरधारकों के अधिकार एवं उनकी शिकायतों आदि आदि की निगरानी के माध्यम से किया जा सकता है.

कम्पनी , अंदरूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए , सेबी (अंदरूनी ट्रेडिंग निषेध) अधिनियम 2015 को सुनिश्चित करने के लिए निवेश प्राप्तिकर्ता कम्पनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रिया की भी निगरानी की जायेगी.

4. निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी में हस्तक्षेप पर कंपनी की पॉलिसी

सामान्य रूप से कंपनी इसकी निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी के आंतरिक प्रबंधन में हस्तक्षेप न करना ही समीचीन समझती है. तथापि जहाँ हमारा हिस्सा 5% से अधिक हो तो , हम कम्पनी के निकृष्ट वित्तीय निष्पादन, कम्पनी शासन सम्बन्धी प्रथाओं, परिलब्धियों, नीतिगत , पर्यावरण , सामाजिक एवं प्रशासनिक (ई एस जी) जोखिमों , प्रतिनिधित्व सम्बन्धी मुद्दों एवं कानूनी प्रक्रियाओं से सम्बंधित मुद्दों पर चयनित आधार पर हस्तक्षेप कर सकते हैं. कंपनी को सकारात्मक हल तक पहुंचने के लिए गोपनीय तथा रचनात्मक तरीके से कार्य करना चाहिए. जब तक संभव हो मुद्दे कंपनी फोरम के बाहर तक नहीं पहुँचने चाहिए. हालांकि यह कार्य भी किसी चरम स्थिति किया जा सकता है परंतु इसके लिए सही प्रकार से इसका कारण दर्ज करने के साथ-साथ इसे अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए अथवा यदि आवश्यक हो तो निवेश समिति का विशेष अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए.

5. अन्य संस्थागत निवेशकों के साथ सहयोग हेतु कंपनी की नीति

कंपनी, पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के फ़ंड के प्रबन्धक के रूप में पॉलिसीधारकों एवं शेयरधारकों के हित में कार्य करने के लिए जिम्मेदार है.

जहां मुद्दे सामान्य अथवा दैनिक नहीं हैं वहाँ निवेश विभाग अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से और यदि आवश्यक हो तो निदेशक मंडल के अनुमोदन से, निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी के किसी बड़े शेयरधारक के साथ मिलकर उक्त मुद्दों पर कोई ऐसी रणनीति बना सकता है जो कंपनी तथा इसके पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों के हित में हो. इस तरह की परस्पर क्रिया निवेश के मूल्य पर प्रभाव डाल सकती है अतः इस प्रकार की किसी भी परस्पर क्रिया की प्रकृति पूर्णतया गोपनीय होगी.

6. मतदान एवं मतदान गतिविधि के प्रकटीकरण पर कंपनी की पॉलिसी

कंपनी में वोटिंग पॉलिसी उपलब्ध है. निवेश टीम कंपनी की वोटिंग पॉलिसी के अनुसार वोटिंग के निर्णय लेने के लिए उत्तरदाई होगी. कंपनी किसी प्रस्ताव के पक्ष में अथवा विपक्ष में अथवा मतदान मेन अनुपस्थित रहने का चुनाव कर सकती है. इसका निर्णय करते समय कंपनी सामान्य व्यापार,विशेष व्यापार तथा ऐसे मुद्दे जिनके लिए विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता है को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकती है एवं विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न स्तर की सावधानियाँ बरत सकती है. निर्णय का उद्देश्य निवेश प्राप्तिकर्ताकंपनी संवृद्धि को बढ़ाना है जिससे सभी निवेशकों के मूल्य में इज़ाफ़ा हो. उन मुद्दों को छोड़कर जहां गुप्त मतदान आवश्यक है हमारा मतदान प्रत्यक्ष होगा. कम्पनी की आनिवार्य रूप से सक्रिय रूप से प्रतिभागिता होगी एवं निवेश प्राप्तिकर्ता

कम्पनियों के संकल्पों / प्रस्तावों , जहाँ निवेश प्राप्तिकर्ता कम्पनी की प्रदत्त पूँजी 3% एवं उससे अधिक हो तो लेखा परीक्षा समिति द्वारा मतदान प्रक्रिया की निगरानी की जायेगी.

वर्तमान में, कम्पनी व्यापर परिचालन के रूप में अपने स्टॉक को उधार देने का प्रस्ताव नही रखती है तथा इसके समक्ष स्टॉक लेंडिग की कोई नीति नहीं है.

निर्धारित समय सीमा के भीतर सम्बंधित विनियामक तिमाही प्रकटन किये जायेंगे.

7. अपनी स्टुअर्डशिप गतिविधियों की सामयिक रिपोर्टिंग हेतु कंपनी की पॉलिसी:

कंपनी निर्धारित समय सीमा में आईआरडीडएआई द्वारा दिये गए प्रारूप में स्टुअर्डशिप सिद्धांतों के अनुपालन की स्थिति को रिपोर्ट करेगी.इसके अनुसार सार्वजनिक प्रकटन के साथ-साथ वार्षिक आधार पर कम्पनी अपनी स्टुअर्डशिप गतिविधियों का प्रकटन भी करेगी. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति स्टुअर्डशिप सम्बंधी निर्णयों तथा गतिविधियों की निगरानी के लिये ज़िम्मेदार होगी.